बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
अधिसूचना

सुश्री अंकिता, नियोजन पदाधिकारी, अ0प्रा0नि0, सहरसा अतिरिक्त प्रभार जिला नियोजन पदाधिकारी सुपौल द्वारा दिनांक–05.08.2024 को पीलिया से ग्रसित होने एवं ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने का उल्लेख करते हुये दिनांक–05.08.2024 से दिनांक–08.09.2024 तक का उपार्जित अवकाश संबंधी अभ्यावेदन समर्पित किया गया। साथ ही उपार्जित अवकाश स्वीकृति की प्रत्याशा में जिला नियोजन पदाधिकारी, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार) का प्रभार दिनांक–05.08.2024 के पूर्वाह्न से स्वतः त्याग कर सुश्री अंकिता द्वारा बिना पूर्वानुमति के अवकाश पर प्रस्थान किया गया, जिसके आलोक में आरोप पत्र गठित किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17/19 के आलोक में सुश्री अंकिता को आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय ज्ञापांक–3801 दिनांक–11.11.2024 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

2. सुश्री अंकिता द्वारा कार्यालय पत्रांक–75 दिनांक–14.01.2025 द्वारा अपना बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि तबीयत खराब होने के कारण चिकित्सक से परामर्श हेतु दिनांक–01.8.2024 से 03.08.2024 तक आकस्मिक अवकाश पर थी एवं चिकित्सक द्वारा जांचोपरांत पीलिया रोग से पीड़ित बताया गया एवं सख्त रूप से बेड रेस्ट करने की सलाह दी गई परन्तु स्वास्थ्य निरंतर खराब होने एवं SGPT एवं Bilirubin का स्तर क्रमशः 456.50 एवं 7.32 mg/DL तक बढ़ने के कारण दिनांक–06.08.2024 से चिकित्सकीय देखरेख में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिस कारण दिनांक–05.08.2024 के पूर्वाह्न से स्वतः प्रभार त्याग कर उपार्जित अवकाश पर जाना पड़ा।

3. सुश्री अंकिता द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी एवं उनके विरूद्ध गठित आरोपों को गंभीर नही पाते हुए सुश्री अंकिता को कडी चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव सुश्री अंकिता, नियोजन पदाधिकारी, अ0प्रा0नि0, सहरसा अतिरिक्त प्रभार जिला नियोजन पदाधिकारी सुपौल को कड़ी चेतावनी संसूचित की जाती है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विकास कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 37/2024 .... पटना, दिनांक–..............

प्रतिलिपि– सुश्री अंकिता, नियोजन पदाधिकारी, अ0प्रा0नि0, सहरसा अतिरिक्त प्रभार जिला नियोजन पदाधिकारी सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव